



झारखण्ड सरकार

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002

E-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in Phone-0651-2481909 / 2480413

जहाँ है उत्तिमता ।
वहाँ है उत्तमता ॥

पत्रांक-22 फी04(4)6 / 2016

दिनांक-

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

प्रमाण 8/11/17 द्वारा
विषय— सारण्डा वन प्रमण्डल में गुवा सलाई पथ के पुनर्निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग के पक्ष में कि0मी0 11.00 से 29.00 तक कुल 7.67 हे0 वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में

- प्रसंग—(1) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक—FP/JH/ROAD/23802/2017/1450 दिनांक—28.08.2017 एवं वन विभागीय पत्रांक—3648 दिनांक—01.09.2017
 (2) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर का ज्ञापांक—2873 दिनांक—03.11.2017 एवं पत्रांक 2904, दिनांक 06.11.2017
 (3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक—1020 दिनांक —06.11.2017 एवं पत्रांक 1022, दिनांक 07.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र—1 द्वारा विषयक प्रस्ताव से संबंधित 8 (आठ) बिन्दुओं पर की गई पृच्छाओं के संबंध में अद्यतन निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर के प्रासंगिक पत्रों—2 एवं नाभिक पदाधिकारी कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों—3 के द्वारा प्राप्त हुआ है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर ने अपने पत्रांक—2873 दिनांक—03.11.2017 सूचित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से वांछित कंडिका—ii, v, vi का अनुपालन ससमय समर्पित नहीं करने के कारण इन कंडिकाओं का अनुपालन समर्पित नहीं किया जा सका था। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक पुनः अपने पत्रांक—2904, दिनांक 06. 11.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण (कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर) द्वारा दिनांक—06.11.2017 को लम्बित कंडिकाओं का प्रतिवेदन सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा को उपलब्ध कराया गया। आज दिनांक—07. 11.2017 तक प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर पृच्छाओं के संबंध में बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन निम्न तालिका में अंकित की गई है :—

| Sl. no. | Mentioned document / clarifications | Answer |
|---------|--|--|
| 1 | Details of the area calculation (length x width) of Forest Land Proposed for diversion | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में मूल प्रस्ताव के साथ समर्पित area calculation तथा Notified forest का area calculation chart की छायाप्रति पुनः संलग्न की गई है। अनु0—1 |
| 2 | A Certificate of concerned DFO stating that survey numbers of the non-forest land involved in constructions of proposed road does not fall under the | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अधिसूचित वन भूमि 7.67 हे0 पथ के भाग के अतिरिक्त पड़ने वाली पथ की अन्य भूमि का |

| | | |
|---|--|---|
| | category of deemed forests or otherwise where provisions of forest (conservation) act, 1980 are applicable. | अधिग्रहण पथ विभाग द्वारा वर्ष 1972 एवं 1974 में किया गया था तथा इस पर पथ का निर्माण का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के बहुत पूर्व हो चुका है। यानि प्रस्तावित भाग के अतिरिक्त पड़ने वाले पथ में उन्हें अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार आवेदित भाग के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है, अतः अन्य भूमि पर Deemed Forest का मामला नहीं बनता है। |
| 3 | Part – II & Part –III may be submitted in original. | मूल प्रस्ताव के अग्रसारण के क्रम में पार्ट-2 एवं पार्ट –3 को अपलोड किया जा चुका है। उसकी original हस्ताक्षरित Hard Copy पुनः संलग्न है। अनु०-०२ |
| 4 | Action taken report on erring officials for the work in violation of F(C) act, 1980. | निराकरण प्रतिवेदन के साथ अनु०-०३ के रूप में संलग्न। |
| 5 | Geo-referenced map of the proposed road in polygon shape with depicting the different forest in shape/kml format . | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Geo-referenced map एवं shape/kml format का सीडी समर्पित किया गया है। अनु०-०५ |
| 6 | CA scheme over equivalent non-forest land along with 7-10 year maintenance, Geo-referenced map & land suitability certificate of concerned DFO. | प्रयोक्ता अभिकरण ने दिनांक-०६.११.२०१७ को प्रतिवेदित किया है कि पथ निर्माण के दौरान प्रस्तावित भूमि पर पड़ने वाले सभी 1610 वृक्षों में से पथ निर्माण के क्रम में केवल 223 वृक्ष का ही पातन किया जायगा। वास्तविक पातन किये जाने वाले वृक्षों की संयुक्त मार्किंग सूची की छायाप्रति संलग्न अनु०- ०६ है। प्रयोक्ता अभिकरण ने प्रतिवेदित किया है कि इस प्रकार अपयोजन में काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 29 प्रति हेठा होता है जो 50 वृक्ष प्रति हेठा से काफी कम है एवम् यह प्रस्ताव General approval U/S-2 of Forest (Conservation) Act, 1980 के अन्तर्गत आता है, जिसमें CA की आवश्यकता नहीं है। |
| 7 | Penal CA scheme over equivalent degraded Forest Land along with 7-10 years maintenance, Geo-reference map & land suitability certificate of concerned DFO. | तिरिलपोशी- ०३ कम्पार्टमेन्ट में PCA हेतु 19.21 हेठा (17.639 हेठा नेट) चयन किया गया है अनु० ०४ के रूप में संलग्न। |
| 8 | A Proper justification along with the volume of the traffic survey for the requirement of 25 m ROW for the | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित traffic survey एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, |

| | | |
|--|---|---|
| | purpose of reconstruction of the proposed road. | सिंहभूम, जमशेदपुर का पत्रांक 2873, दिनांक 03.11.2017 के बिन्दु 8 पर उल्लेखित है (संलग्न)। |
|--|---|---|

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर एवं नाभिक पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त अद्यतन निराकरण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न है।
अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन

५०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक—०७-११-१७

पत्रांक—२२ पी०४(४)६/२०१६ ४८४५
प्रतिलिपि— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर को प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२०/- अ०११७

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

